CLR No. : 11063582353

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: रसुरवा			पटवारी हल्का: गोपत्र			तहसील: चितरंगी			जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (खसरा संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रकार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अधियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1536400923 82JK15DFKUR9H0	9252 (S)		1.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | म.प्रदेश शासन

लोक सेवा केन्द्र सिंगरौली (बैढ़न) कलक्ट्रेट भवन बैढ़न

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.10.26 13:06:23 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11083582353

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11083582356

ग्राम: रमपुरवा			पटवारी हल्का: गोपला			तहसील: चितरंगी			जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1536225491 82JK6ADFL0F6H0	1088/2 (S)		1.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । म.प्रदेश शासन

लोक सेवा केन्द्र सिंगरौली (म.प्र.)

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.10.26 13:06:24 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11083582356

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11083581971

ग्राम: स्तुरा			पटवारी हल्का: गोभरा			तहसील: चितरंगी			जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1536400912 82JM41DFL1UFH0	7782 (S)		1.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | म.प्रदेश शासन

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.10.26 13:06:21 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11083581971

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11083582348

ग्राम: रमपुरवा			पटवारी हल्का: गोपला			तहसील: चितरंगी			जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1536400956 82JLUJDFL0TCH0	779/2 (S)		1.6720 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-20(3)/2022-23. आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । म.प्रदेश शासन

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.10.26 13:06:22 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11083582348

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

CLR No. : 11083582358

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्रामः रमपुरवा			पटवारी हल्काः गोपला			तहसीलः चितरंगी			जिलाः सिंगरौली		वर्षः 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1536225478 82JK40DFL1ZLH0	1089/2 (S)		1.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 20/06/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । म.प्रदेश शासन

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.10.26 13:06:26 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11083582358

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 12 /अ-20(3)/2022-23

विषय:- गजराबहरा कोलयार्ड से सुलियरी तक सड़क मार्ग से प्रभावित हो रही 5.672 हे0 वन भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन भूमियों का वन विभाग को अंतरण।

आदेश

(आज दिनांक 20 जून, 2022 को पारित एवं घोषित)

यह प्रकरण आवेदक महाप्रबंधक, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बैढ़न जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 16/तक.वन/2021 दिनांक 4.1.2022 पर संस्थित किया गया है। जिसमें यह दर्शाया गया है कि ग्राम गजराबहरा कोलयार्ड से सुलियरी तक सड़क मार्ग निर्माण उनकी परियोजना द्वारा किया जाना है, जिसमें 5.672 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होगी। उक्त वन भूमि के डायवर्सन हेतु नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन निर्माण ऐजेंसी द्वारा वन विभाग को प्रस्तुत किया गया है। प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराई जावे।

2- प्रकरण पंजीकृत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी को अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के संवंध में लेख किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा जांच उपरांत ग्राम रमपुरवा तहसील चितरंगी स्थित वन खण्ड से लगी हुई नीचे दी गई तालिका में वर्णित अनुसार कुल 5.672 हेक्टर राजस्व भूमियों का चयन किया जाकर नजूल निवर्तन निर्देश, 2020 के तहत कार्यवाही की जाकर अतंरण का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसमें नीचे दी गई तालिका अनुसार भूमियों को वन विभाग को अंतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

तालिका

तहसील	ग्राम	प्रस्तावित खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर)	अंतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
चितरंगी	रमपुरवा	778	2.630	1.000
		779	2.020	1.672
		925	3.060	1.000
		1088	2.500	1.000
		1089	2.020	1.000
		योग	**12.230**	**5.672**

3- प्रकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमियॉं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग की नजूल भूमियॉं हैं। प्रस्तावित भूमियों का स्थल निरीक्षण वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। उक्त भूमियॉं वनखण्ड से लगी हुई भूमियॉं हैं जो विहित मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य मे वनीकरण हेतु उपयुक्त हैं। प्रस्तावित भूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। वृक्षारोपण योग्य हैं। चूंकि ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही रोड में प्रभावित हो रही

क्रमशः....

प्रकरण क्रमांक 12 /अ-20(3)/2022-23

वन भूमियॉं का वन संरक्षण अधिनियम, 1080 के तहत गैर वन प्रयोजन के निमित्त व्यपवर्तन की कार्यवाही प्रचलित है। व्यपवर्तन की अनुमति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अन्य भूमियॉं उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में ही हो सकेगी। अतएव प्रस्तुत प्रस्तावानुसार प्रस्तावित राजस्व भूमियों का अन्तरण वन विभाग को किया जाना प्रासॉंगिक है।

4- दिनांक 8.6.2022 को सम्पन्न जिला स्तरीय नजूल निवर्तन समिति की बैठक में उक्तानुसार प्रस्तावित भूमियों को वन विभाग को अंतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार उपरोक्त कण्डिका 2 में दी गई तालिका के कॉलम 3 में वर्णित खसरा नंबरानों भूमियों के कालम 5 में उल्लेखित क्षेत्रफल जो नक्शे में पृथक स्याही से प्रदर्शित हैं एवं इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 है, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन, वन विभाग को अंतरित की जाती हैं। तहसीलदार, तहसील चितरंगी समस्त अभिलेखीय प्रविष्टियों में प्रासांगिक तब्दीलात दुरूस्त कराते हुए मौके पर वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी को अधिपत्य दिलावें एवं संशोधित अभिलेखों सहित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

21/6/22

(राजीव रंजन मीना)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक /अभिलेख पासबुक/22-23 सिंगरौली, दिनांक जून, 2022

प्रतिलिपिः-

1. वन मण्डल अधिकारी, जिला सिंगरौली
2. संचालक, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी म0प्र0
3. उपखण्ड अधिकारी/नजूल अधिकारी , देवसर।
4. तहसीलदार, तहसील चितरंगी
5. महाप्रबंधक, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बैढ़न जिला सिंगरौली

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

Digitally signed by Rajeev Ranjan Meena
Date: 2022.06.21 12:02:56 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH